

भारत सरकार



व्यवसाय - प्रमाण पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री सुभद्रा गुप्ता पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सुनील कुमार गुप्ता निवासी 365 - शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान को नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें नोटेरी के रूप में सम्पूर्ण कोटा में व्यवसाय करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है। मेरे हस्ताक्षर से और सरकार की मुद्राधीन 19/11/2024 तारीख को दिया गया।

## GOVERNMENT OF INDIA Certificate of Practice

Certified that Shri/Smt./Ms. SUBHADRA GUPTA Son/ Daughter/ Wife of Sh. NAVANEET LAL Resident of 365 - SHASTRI NAGAR DADABARI KOTA RAJASTHAN, KOTA, RAJASTHAN has been appointed as a Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and is authorised to practice as such, in and throughout Ladpura for a period of five years. Given under my hand and seal of the Government of India, on this day of. 19/11/2024

उप विधिक सलाहकार / विधिक सलाहकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग नई दिल्ली

*Deputy Legal Adviser / Legal Adviser*

*Ministry of Law & Justice*

*Department of Legal Affairs New Delhi*